तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अमित कुमार बनाम शंकरलाल** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/201**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील का निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पत्थरगढी बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जो कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.04.2022 के आधार पर पारित हुआ था। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.04.2022 को जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष चुनौती दे रखी थी जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से दिनांक 26.06.2023 सीमाज्ञान आदेश निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पत्थरगढी आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। अधिवक्ता अपीलान्ट ने भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 26.06.2023 द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 20.04.2022 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जयपुर को रिमाण्ड किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील निष्प्रभावी होने से खारिज फरमाई जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि तहसीलदार जयपुर के सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.04.2022 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2023 पारित किया गया है तथा उभयपक्ष द्वारा ईडीएम मशीन से सीमाज्ञान कराये जाने की सहमति पर जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 26.06.2023 के द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.04.2022 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जयपुर को रिमाण्ड किया गया है। ऐसे में जब सीमाज्ञान रिपोर्ट को ही अपास्त किया जा चुका है तो सीमाज्ञान की रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश स्वतः ही निरस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील निष्प्रभावी हो चुकी है जिसे आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 24/7/23 (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	